न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 01/2022

अनवान : –

1. विकास पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा।

:–प्रार्थी

बनाम्

1. नत्थूराम पुत्र श्रीपाल जाति कुम्हार निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
2. टेकचंद पुत्र श्रीपाल जाति कुम्हार निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
3. मांगेराम पुत्र हरदेवा जाति कुम्हार निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
4. रणजीत पुत्र हरदेवा जाति कुम्हार निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
5. सुभाष पुत्र हरदेवा जाति कुम्हार निवासी साहूवाला तहसील भादरा।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा
7. आरएमजीबी शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।
8. पीएनबी शाखा निनाण जरिये शाखा प्रबंधक।
9. एसबीआई शाखा मूर्ति चौक भादरा जरिये शाखा प्रबंधक।

:–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–श्री मुंशीराम गोस्वामी प्रार्थीगण

श्री पवन सिहाग अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 05.11.22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं0 110/109 के मु0 न0 39 के किला न0 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 12 ता 19, मु0 न 40 किला न0 10/1, 10/2, 11, 12, मु0 न0 43 किला न0 6/1, 6/2 कुल 4.048है0 नहरी बारानी मय रास्ता की खातेदारी प्रार्थी विकास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की खातेदारी के चिपते ही अप्रार्थीगण टेकचंद, नत्थूराम, मांगेराम, रणजीत, सुभाष की चक 1 बीबीएम के खाता सं0 80/28 के मु0 न0 21 के किला न0 19/1, 22, मु0 न0 38 किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2, 16/2, 16/3, 17, मु0 न0 39 किला न0 1, 10, 11, 20, मु0 न0 43 किला न0 2, मु0 न0 56 किला न0 1, 2, 3/2, 8/1, 9, 10 मु0 न0 57 किला न0 5, 6 कुल 4.885है0 नहरी बारानी मय रास्ता खाला अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थी को अपनी खातेदारी चक 1 बीबीएम के मु0 न0 39 के किला न0 9 में प्रवेश करने के लिए मु0 न0 39 के पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण को जाने वाले स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर अप्रार्थीगण की चक 1 बीबीएम के मु0 न 39 के किला न0 10 के उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ चलकर प्रवेश करता है तथा उक्त रास्ता से होकर प्रार्थी की खातेदारी में से किला न0 9, 8, 7, 6 में से स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर आगे के काश्तकार भी इसी रास्ता से आवागमन करते हैं परंतु बीच में किला न0 10 में उक्त रास्ता स्वीकृत नहीं होने के चलते अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ता अवरूद्ध करने की धमकी दे रहे है तथा प्रार्थी एवं आगे के काश्तकारान को उक्त रास्ता से आवागमन मे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए है। अतः प्रार्थी उक्त रास्ता को स्वीकृत करवा पाने की कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ता 5 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल किया गया। अप्रार्थी सं0 8 व 9 की ओर से वकील द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने मुताबिक अनुतोष प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रोही मौजा चक 1 बीबीएम के खाता सं0 110/109 के मु0 न0 39 के किला न0 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 12 ता 19, मु0 न 40 किला न0 10/1, 10/2, 11, 12, मु0 न0 43 किला न0 6/1, 6/2 कुल 4.048है0 नहरी बारानी मय रास्ता की खातेदारी प्रार्थी विकास के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण की चक 1 बीबीएम के मु0 न 39 के किला न0 10 के उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ चलकर प्रवेश करता है तथा उक्त रास्ता से होकर प्रार्थी की खातेदारी में से किला न0 9, 8, 7, 6 में से स्वीकृतशुदा रास्ता से होकर आगे के काश्तकार भी इसी रास्ता से आवागमन करते हैं परंतु बीच में किला न0 10 में उक्त रास्ता स्वीकृत है इसलिए प्रार्थी ने मु0 न0 39 के किला न0 10 में 1 गटठा अर्थात सवा आठ फीट चौडाई के उक्त रास्ता के लिए निवेदन किया। इस हेतु रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थीगण के नाम प्रार्थी की चक 1 बीबीएम के मु0 न0 39 के किला न0 9 में पश्चिमी तरफ उतर से दक्षिण लम्बाई में किला न0 10 के चिपते हुए देना स्वीकार किया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए अप्रार्थीगण नत्थूराम, टेकचंद, मांगेराम, रणजीत व सुभाष की चक 1 बीबीएम के मु0 न0 39 के किला न0 10 में उतरी तरफ पश्चिम से पूर्व की तरफ एक गट्ठा चौडाई अर्थात सवा आठ फीट चौडाई रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें। उक्त रास्ते के लिए अप्रार्थीगण नत्थूराम, टेकचंद, मांगेराम, रणजीत व सुभाष की कृषि भूमि की एवज में प्रार्थी की चक 1 बीबीएम के मु0 न0 39 के किला न0 9 में पश्चिम तरफ उतर से दक्षिण लम्बाई में किला न0 10 के चिपते ही भूमि दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.11.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़